उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग–2
संख्या–235 ई–2/तेरह–2009–92/2008
लखनऊ::दिनांक 30 जनवरी,2009

कार्यालय–ज्ञाप

शीरा वर्ष 2006–07 की शीरा नीति में विचलन हेतु प्राप्त प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये कार्यालय ज्ञाप संख्या–1814 ई–2/तेरह–2007–4/2007, दिनांक 24 जुलाई,2007 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति, जिसकी कार्यावधि कार्यालय ज्ञाप संख्या–591 ई–2/तेरह–2008–106/2007, दिनांक 04 मार्च,2008 द्वारा शीरा वर्ष 2007–08 के लिये बढ़ाई गई थी, की कार्यावधि शीरा वर्ष 2008–09 तक के लिये भी बढ़ाई जाती है। समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा::–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य
3. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग — सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग — सदस्य/संयोजक

नेत राम
प्रमुख सचिव।

संख्या–235 (1) ई–2/तेरह–2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित::–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका हेतु।

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।